

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. / 202.....

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18/10/24	पत्रावली पेश हुई। RO. सा. अन्य राजस्व के अन्तर्गत है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 6/11/24 को पेश होय।	
6.11.24		पत्रावली पेश हुई। नमुनाएँ परिष्कृत उपस्थित। पूर्व दिनांक की पास्ता से पत्रावली दिनांक 8/11/24 को पेश की।	
8.11.24		पत्रावली पेश हुई। नमुनाएँ परिष्कृत उप०। पूर्व दिनांक की पास्ता से पत्रावली दिनांक 22/11/24 को पेश की।	उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर
22.11.24		पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना एवं उनके भविष्यता अनुपस्थित। प्रार्थना को न्यायालय में आज प्रथम-पृथक समय पर तीन-तीन बार आवेदन कराया गया। बावजूद आवेदन लगवाने को उपरान्त भी प्रार्थना को न्यायालय में दायर नहीं करने के कारण पत्रावली अन्तर्गत सार्वजनिक-9 नियम-3 के तहत अदम्य दायरी व अदम्य पेशी में खारिज की जाती है। पत्रावली जेसल श्रुमार होकर नकर से नम होकर दायर किया गया है।	उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर